

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 21 फरवरी, 1995 (फाल्गुन 2, 1918)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (क्रमांक 1 सन् 1995) पटल पर रखेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड का दिनांक 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री बरखन नायक, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रघुनन्दन शर्मा, सदस्य, गुना के निकट एक मिट्टी की खदान धसकने से चार प्रमिकों की मृत्यु होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के नयागांव पुलिस कर्मियों द्वारा ग्रामीणों से मारपीट और लूटपाट किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. शासकीय विधि विधायक कार्य

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री, दण्ड प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 1 सन् 1995) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे.

6. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री रविन्द्र शीबे, सदस्य, द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 1995 को प्रस्तुत लिखित प्रस्ताव पर चर्चा (समसह) :-

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सहस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं".

भोपाल :
दिनांक : 20 फरवरी, 1995

बाला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा